मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारी:– चन्द्रशेखर भण्डारी , RAS

प्रकरण सं. 37/2017 वाद

श्रीमती कुसुम जारोली पत्नी श्री उमरावसिंह, जाति महाजन, आयु वयस्क, निवासी– बांगरेड़ा मामादेव, तहसील निम्बाहेड़ा जिला– चितौड़गढ़ राज0.

–वादी

//बनाम//

1. सत्यनारायण पिता श्री रामचन्द्र, जाति धाकड़ आयु वयस्क, निवासी– बांगरेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला– चितौड़गढ़ राज0
2. भूमिधारी श्री तहसीलदार एवं उपपंजीयक निम्बाहेड़ा जि0– चितौड़गढ

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 53,188,209 रा.का.अधि.

लोक अदालत कैम्प कोर्ट बांगरेड़ा मामादेव में दिनांक 06.06.2018 को इस वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्र क्रमांक/टीआरए/153, दिनांक 02.09.2020 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रकरण में वादीया की और से अधिवक्ता श्री निशान्त मेहता एवं प्रतिवादी नं. 1 की और से अधिवक्ता श्री रामचन्द्र धाकड़ की उपस्थिति में बहस आपत्ति फर्द बंटवाड़ा सुनी गई। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की आपत्ति खारिज की जाकर माफिक फर्द बंटवाड़ा वाद वादीया अन्तिम डिक्री किया जाता है ।

अत: विवादित भूमि मौजा बांगरेड़ा का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है।

खाता संख्या 539 की आराजीयात का बंटवारा निम्नानुसार रहेगा–

1– श्री कुसुम पत्नि उमराव सिंह महाजन सा. देह खाते. रहन OBC शाखा निम्बाहेड़ा के रहेगी–

आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	लगान रूपये में
253	0.25	4.75
254(पूर्व)	0.21	3.99

कुल कीता 2 कुल रकबा 0.46 हैक्टैयर कुल लगान 8.74 रूपये

2– श्री सत्यनारायण पिता रामचन्द्र धाकड़ सा. देह खाते. रहन B.R.G.B. शाखा निम्बाहेड़ा के रहेगी–

आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	लगान रूपये में
254(पश्चिम)	0.46	8.74

कुल कीता 1 कुल रकबा 0.46 हैक्टैयर कुल लगान 8.74 रूपये

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:28:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रतिवादी संख्या 1 सत्यनारायण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार माफिक बंटवाड़ा वादिया के हक हिस्से में दखलन्दाजी एवं मदाखलत नहीं करें ना अन्य किसी से करावें।

यह आज तारीख 28.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

Webcopy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:28:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner